


270



न्यायालय श्री मान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र. क्र.

R 580-I-17

सं.

1. सुखलाल तनय स्व. लक्ष्मीराम अहिरवार आयु 68 वर्ष
2. गुमनिया बेवा पूरन अहिरवार आयु 70 वर्ष
3. हरिभजन तनय स्व. पूरन अहिरवार 45
4. जुगला तनय स्व. पूरन अहिरवार आयु 43 वर्ष
5. नारायण तनय स्व. पूरन अहिरवार आयु 40 वर्ष
6. दीनदयाल तनय स्व. पूरन अहिरवार आयु 36 वर्ष
7. लेखराम तनय स्व. पूरन अहिरवार आयु 32 वर्ष समस्त
निवासगणी वार्ड नं. 07, लवकुशनगर
जिला छतरपुर म. प्र.

.....आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

राजकिशोर तिवारी तनय स्व. चतुर्भुज तिवारी
निवासी लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र.

.....अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.सं. 1959
पुनरीक्षण याचिका आवेदन पत्र धारा 50 न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर के प्र. क्र.
282/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक
12/01/2017 से दुखित एवं पीडित होकर

न्यवर महोदय,

सेवा में श्रीमान निगरानीकर्तागण सादर निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत करते हैं कि—

1. यह कि भूमि खसरा नं. 2721, 2791 रकबा क्रमशः 0.275 हे. 0.364 हे. मौजा लवकुशनगर जिला छतरपुर म. प्र. की उपरोक्त भूमि निगरानीकर्तागण के पिता लक्ष्मीराम, निगरानीकर्तागण क्र. 2 पूरन तथा निगरानीकर्तागण 3 लगायत 7 के पिता स्व. पूरन



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-580-एक/2017

जिला-छतरपुर

सुखलाल आदि विरुद्ध राजकिशोर तिवारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 282/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 12-01-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ . पक्षकार दिनांक 08-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0क0 जेन) सदस्य 11.3.19</p>